

बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India

**BOI**



असाधारण आम बैठक  
बृहस्पतिवार, 4 मई, 2017  
प्रातः 10.30 बजे

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
Thursday, 4<sup>th</sup> May, 2017  
10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय:  
स्टार हाउस, सी-5 "जी" ब्लॉक,  
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व),  
मुंबई - 400 051.



बैंक ऑफ़ इंडिया

रिशतों की जमापूँजी

**HEAD OFFICE:**  
STAR HOUSE, C 5 .G BLOCK  
BANDRA KURLA COMPLEX,  
BANDRA (EAST),  
MUMBAI - 400 051

## सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक गुरुवार 04 मई, 2017 को सुबह 10.30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए की जाएगी:

### मद सं. 1 - अधिमानी आधार पर भारत सरकार (प्रवर्तक) को शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो परिवर्तनों के साथ तथा परिवर्तनों के बिना पारित करना।

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 [सेबी- आईसीडीआर विनियमन]/आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को सहमति प्रदान की जाती है कि वे भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 1500 करोड़ तक सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित ₹ 123.51 प्रति इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम सहित ₹ 133.51 प्रति शेयर पर नकद हेतु ₹ 10/- प्रत्येक (रुपये दस केवल) के 11,23,51,134 तक के इक्विटी शेयर्स सृजित, पेश, जारी और आबंटित किया जाए।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइज) के निर्धारण की संबंधित तारीख सोमवार, 3 अप्रैल 2017 है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो इक्विटी शेयरों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा किसी भी कार्यपालक निदेशकगण और बैंक के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।”

### मद सं. 2 : नई पूंजी तथा टीयर-1 / टीयर-2 बॉण्ड जारी करने के लिए अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो परिवर्तनों के साथ तथा परिवर्तनों के बिना पारित करना।

“संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण उद्घाटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियम, 2000 यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित

इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा निम्नलिखित को सृजित, पेश, जारी और आबंटित (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की सहमति दी जाती है।

- क) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के 80,00,00,000 (80 करोड़) तक नये इक्विटी शेयर सृजित, पेश, जारी और आबंटित, ऐसे प्रीमियम पर करना कि वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के ₹ 3000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है या भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार किए जाने वाले संशोधन (यदि कोई) के अनुरूप वर्द्धित प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, कि केन्द्र सरकार की शेयर संहिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर;
- ख) आरबीआई द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सतत उधार लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचर सहित परन्तु अधीनस्थ डिबेंचर तक सीमित नहीं, बॉण्ड, सतत असंचयी अधिमानी शेयर तथा/या अन्य उधार प्रतिभूति/ अधिमानी शेयर को निजी शेयर आबंटन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर अभिदान आमंत्रित और पेश करने के लिए जो एक या अन्य अंशों में टीयर 1 तथा टीयर 2 पूंजी के रूप में आरबीआई या अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा स्वीकार या वर्गीकृत किया जा सके, उस राशि के लिए जो एक या अधिक अंशों में विशेष संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹ 10,000 करोड़ से अधिक न हो। इसमें एक या अधिक सदस्य बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनी, निजी एवं सार्वजनिक, निवेशी संस्थाएं, सोसाइटी, ट्रस्ट, शोध संस्थाएं, पात्र संस्थागत क्रेता जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफएफआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन, बीमा कंपनी, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाएं या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण, या कोई अन्य श्रेणी के निवेश जो इक्विटी/अधिमानी शेयर/बैंक की प्रतिभूतियों में निवेश करने के पात्र हैं वे शामिल होंगे। यह जैसा कि बैंक के द्वारा उचित समझा जाता है उपर्युक्त किसी अन्य समुच्चय या वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक, निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन निर्गम के या किसी अन्य तरीके से जो उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त हो, के जरिए किया जाएगा। अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गम एवं प्रकटन जरूरतें), अधिनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”) के प्रावधानों के अनुरूप किया जाए और सेबी, आर बी आई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसे भी उपयुक्त समझा जाए और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर जिन्हें बोर्ड अपनेपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में, सूचीबद्ध किए जाएंगे। जहाँ बैंक में वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मुख्य प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या कि क्या प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं।

आगे यह संकल्प लिया गया कि आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VIII के मुताबिक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और इस प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 12 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा या ऐसे किसी समय में जिसकी आईसीडीआर अधिनियमों में अनुमति दी गई है।
- ख) बैंक आईसीडीआर अधिनियमों के अधिनियम 85(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर 5% से कम बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।
- ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की अचित तारीख आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/एसे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बँठक) अधिनियम, 2007 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी मुख्य प्रबंधक(प्रबंधको), बैंकर(बैंकरो), हामीदारों, जमकर्ताओं, कानूनी सलाहकारों और ऐसे सभी एजेंसियों जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमिशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे।


“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटर्स, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मो), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानो शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के शोधन या र करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिर्काई तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त शेयरों का जो कि अभिदत्त नहीं हैं, को बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से इस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशक(कों), इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।”

निदेशक मण्डल के आदेश से



(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 05.04.2017

#### टिप्पणियां:

8. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म 29 अप्रैल 2017 को बैंक के कार्य की समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।
9. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में शनिवार, 29 अप्रैल 2017 को बैंक के कार्य समय समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
10. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर “परोक्षी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
11. कार्यसूची मद हेतु व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
12. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स बिगशेयर प्रा. लि. को निम्नलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव  
बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय,  
स्टार हाउस, सी-5, ‘जी’ ब्लॉक,  
8 वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),  
मुंबई - 400 051.  
फोन - 66684444  
ई-मेल : [Headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:Headoffice.share@bankofindia.co.in)  
Website: [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in)

बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स :  
मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.  
यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया,  
ई-2, अनसा इंडस्ट्रियल एस्टेट,  
साकीविहार रोड,  
साकीनाका, अंधेरी पूर्व,  
मुंबई - 400 072.  
टेलीफोन: 022- 40430200 फैक्स : 022- 28591568  
ई मेल: [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com)

### 13. ई वोटिंग

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मर्दानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्कूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा 27 अप्रैल, 2017 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

### 14. ई-वोटिंग अनुदेश


- शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 27, 2017 (कट-ऑफ तारीख) को कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।
- वोटिंग अवधि 01 मई, 2017 के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और 03 मई, 2017 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सी.डी.एस.एल. द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
- शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन करना होगा।
- shareholders** पर क्लिक करें।
- अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।
  - सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशियरी आईडी
  - एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
  - जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
- डिस्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

	डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none"> <li>जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पीएएन के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें।</li> <li>यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों(बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में '0' जोड़ें। अर्थात् यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड में RA0000001 लिखें।</li> </ul>
जन्मतिथि (DOB)	कथित डीमैट खाते या फोलियो के लिए dd/mm/yyyy प्रारूप में आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उल्लिखितानुसार जन्म तिथि की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में कथित डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। <ul style="list-style-type: none"> <li>लॉगिन करने के लिए कृपया डीओबी या लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (V) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।</li> </ul>

- इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें।
- जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे 'Bank selection' स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'password creation' मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- संगत <Company Name> जिस पर आप वोट करना चाहें, हेतु EVSN पर क्लिक करें।

- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'Resolution Description' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु 'Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या 'No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो 'RESOLUTION FILE LINK' पर क्लिक करें।
- xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा आपका नोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा आपका नोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर 'click here to print' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और 'Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।
- xix. गैर-एकल शेयरधारक और अभिरक्षक हेतु नोट
- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
  - संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को ईमेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) को भेजी जाए।
  - लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
  - खाते की सूची [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
  - उनको अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्कूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
  - यदि ई-वोटिंग के संबंध में कोई समस्या है अथवा आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर Help अनुभाग में उपलब्ध बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन करें अथवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ई-मेल करें।
- xx. बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- xxi. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।
- xxii. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते। असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विमर्श, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।
- xxiii. आप फोलियो में यूजर प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।
15. बैठक में मतदानकार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्कूटिनाइजर के तहत मतदान का आयोजन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।
16. मतदान के परिणाम के साथ जोड़कर ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से



(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 05.04.2017

## व्याख्यात्मक विवरणपत्र

सेबी-आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII अनुसार किए जाने के लिए यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरणपत्र और प्रकटन

### मद सं.01

सेबी-आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII अनुसार किए जाने के लिए यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरणपत्र और प्रकटन

1. बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है और आज की तिथि में बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 1055.43 करोड़ है।
2. वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹ 777.51 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 73.72% है। 31 दिसंबर, 2016 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि करोड़ रुपये में	बासेल-III के तहत जोखिम भारित आस्तियों की पूंजी निधियों का प्रतिशत
जोखिम भारित आस्तियां	3,43,657	
कॉमन इक्विटी कैपिटल (सीईटी-1)	26,453	7.70
अतिरिक्त टियर-I पूंजी	4,771	1.38
टियर-I पूंजी	31,224	9.08
टियर -II पूंजी	10,405	3.03
कुल पूंजी	41,629	12.11

3. बैंक पिछले कई वर्षों से एक नियत औसत वृद्धि दर पर सामान्य गति से विकास कर रहा है। लंबी अवधि के संसाधनों के जरिए कारोबार का विस्तार करने हेतु फंड की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और सामान्य कर्ज देने हेतु जैसा भी निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया हो, बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2009 और अद्यतन संशोधनों के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के जरिए फंड जुटाने का प्रस्ताव करता है।

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.03.2017 के माध्यम से हमें सूचित किया है कि कुछ शर्तों के अध्यधीन वे ₹ 1500 करोड़ तक की पूंजी लगाना चाहते हैं। भारत सरकार ने अपने पत्रदिनांक 31.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि वे दिनांक 31.03.2017 को अथवा उससे पहले धनप्रेषण करेंगे और कि बैंक को राशि को सीईटी-1 पूंजी के रूप में ध्यान पर लेने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 31.03.2017 को पूंजी का धनप्रेषण किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 22.03.2017 को बैंक को प्राप्त आवेदन राशि को सीईटी-1 पूंजी के भाग के रूप में मानने की अनुमति दी है।

4. वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपरोक्त अधिमानी निर्गम एवं आबंटन हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
5. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के उद्देश्य:

पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसिल (II एवं III) अपेक्षाओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, पूंजी जुटाने की सतत रूप से बढ़ती हुई आवश्यकता है। भारत सरकार ने सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु बैंकों में अतिरिक्त इक्विटी पूंजी डालने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार से अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

6. ऑफ़र सब्सक्राइब करने के लिए निर्गम के प्रवर्तकों/निदेशकों/मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव:

बैंक के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार के अलावा किसी भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों ने इक्विटी शेयरों के निम्नलिखित ऑफ़र को लेने का इरादा व्यक्त नहीं किया है।

7. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व व पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न:

विवरण	निर्गम से पूर्व (31st मार्च 2016 तक)		शेयरों का प्रस्तावित आबंटन (अनुमानित)	निर्गम के पश्चात	
	शेयरों की संख्या	धारण का %		शेयरों की सं.	धारण का %
प्रवर्तक समूह भारत के राष्ट्रपति #	77,75,14,808	73.72	11,23,51,134	88,98,65,942	75.12
एलआईसी ऑफ इंडिया *	13,52,81,603	12.83	1,75,00,000	15,27,81,603	12.90
अन्य शेयरधारक	14,18,98,693	13.45	-	14,18,98,693	11.98
कुल	105,46,95,104	100.00	12,98,51,134	1,18,45,46,238	100.00

# इस सम्बन्ध में भारत सरकार की शेयरधारिता 75% के ऊपर आबंटन सेबी के अनुमति से होगा।

\* एलआईसी को 1,75,00,000 शेयर के निर्गम को दिनांक 30.03.2017 को आयोजित ईजीएम में अनुमोदन दिया गया है और सरकार से अनुमोदन प्राप्त होते ही उन्हें आबंटित किया जाएगा।

8. भारत के राष्ट्रपति की निर्गम से पूर्व व पश्चात शेयर होल्डिंग निम्नानुसार है:

	निर्गम से पूर्व (प्री इश्यू)		निर्गम के पश्चात (पोस्ट इश्यू)	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	पूंजी की तुलना में प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	पूंजी की तुलना में प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	77,75,14,808	73.72	88,98,65,942	75.12

9. **समयावधि, जिसके अंदर यह अधिमानी निर्गम (preferential Issue) पूर्ण कर दिया जाएगा:**

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर इश्यू निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करता है।

ए) भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.03.2017 के माध्यम से भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के पक्ष में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा किए जाने की शर्त के अधीन बैंक में अधिमानी इक्विटी (preferential equity) के रूप में ₹ 1500 करोड़ (₹ पंद्रह सौ करोड़ मात्र) की सीमा तक टर्नअराउंड लिंकड पूंजी लगाने की इच्छा व्यक्त की है। बैंक ने दिनांक 31.03.2017 को भारत सरकार से संबंधित राशि प्राप्त की है।

बी) बैंक के प्रवर्तक के हैसियत से भारत सरकार का बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रहेगा तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

10. **प्रस्तावित अधिमानी निर्गम (इश्यू) का मूल्य निर्धारण**

निर्गम का मूल्य, अद्यतन संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम(इश्यू) हेतु यथा लागू विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

11. **सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन:**

मेसर्स ग्रीवर, लल्ला और मेहता, सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह प्रमाणित किया है कि शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रमाणपत्र की प्रति बैंक की असाधारण आम बैठक दिनांक 04 मई, 2017 में उपलब्ध कराई जाएगी।

12. **लॉक-इन अवधि:**

अधिमानी निर्गमों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिमानी आधार पर निम्नलिखित को जारी करने हेतु प्रस्तावित शेयर, प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार तथा ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष तक लॉक-इन अवधि के अधीन रहेंगे।

13. भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी धारिता संदर्भ तारीख से शुरू होकर एक अवधि के लिए लॉक किया जाएगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 6 महीनों की अवधि तक का होगा।

14. **अनुपालन:**

क) स्टॉक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, सूचीकरण करार में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

ख) संबंधित तिथि के पहले 6 महीनों के दौरान भारत सरकार (प्रवर्तक) ने कोई इक्विटी शेयरों की बिक्री नहीं की है।



ग) सेबी सूचीकरण विनियम-2015 के खंड 41(4) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सूचीबद्ध संस्थाएँ सभी शेयरों (जब्त शेयरों सहित), प्रतिभूति, अधिकार, विशेषाधिकार तथा लाभों को प्रथम दृष्टांत में यथानुपात आधार पर स्वीकृत करने के लिए सूचीबद्ध संस्था के इक्विटी शेयरहोल्डरों को जारी या प्रस्तावित करेगी जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आर्बिट्रि कर रहे हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी-आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी अपेक्षित है।

15. **वचन:**

(क) बैंक वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ भी ऐसा करने की आवश्यकता है, इक्विटी शेयर के कीमत की पुनः गणना करेगा।

(ख) बैंक वचन देता है कि कीमत के पुनः गणना के कारण देय रकम का इन विनियमनों में निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्बिट्रि द्वारा रकम का भुगतान न किए जाने तक यह निर्दिष्ट प्रतिभूति की अवरूद्ध अवधि जारी रहेगी।

आपके निदेशक नोटिस में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण/बैंक के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति/उनके संबंधी इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

**मद सं. 02**

1. पिछले कई वर्षों से बैंक साधारण गति से पर्याप्त विकास दर से विकसित हो रहा है। बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित दीर्घावधि संसाधनों के माध्यम से एवं साधारण उधार के उेश्यों से कारोबार को बढ़ाने के लिए निधियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी एवं प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन 2009 एवं इस संबंध में सेबी/आरबीआई द्वारा अद्यतन रूप से संशोधित लागू विनियम/ दिशानिर्देश के अनुसरण में पात्र संस्थागत संस्थापना (क्यूआईपी) / सार्वजनिक ऑफर पर अनुवर्ती (एफपीओ)/ इक्विटी शेयरों के निजी संस्थापन, टियर-I बांड, टियर-II बांड, अधिमानी शेयर के माध्यमसे निधियाँ उत्पन्न करने का बैंक द्वारा प्रस्तावित है।


2. उचित समय पर, उचित प्रीमियम पर एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर, टियर-I/ टियर-II पूँजी का निर्गम करने हेतु बोर्ड के निदेशकों को समर्थित करने के लिए भी वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है। उपर्युक्त अधिमानी शेयर के आर्बिटन एवं पूँजी उत्पन्न करने के अन्य रास्तों को बनाने हेतु बोर्ड के निदेशकों को समर्थित करने के लिए भी वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है।

3. इस विशेष संकल्प की शर्तों के अनुरूप इक्विटी शेयरों/ टियर-I, टियर-II, कैपिटल बांड का प्रस्तावित निर्गम, सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

आपके निदेशक नोटिस में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण/बैंक के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति/उनके संबंधी इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से



(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 05.04.2017

## NOTICE

**NOTICE** is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on **Thursday 4 May 2017 at 10.30 AM** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following **special businesses**:

**Item No. 1- Issue of Shares to Government of India (Promoters) on Preferential Basis.**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations], Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot **upto 11,23,51,134 equity shares** of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ **133.51 per equity share** including premium of ₹ **123.51** per equity share as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ **1500** Crore on preferential basis to Government of India (President of India).”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is **Monday, April 3, 2017”**

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

**Item No. 2: Approval to issue Fresh Capital and Tier-I / Tier-II Bonds**

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2000 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad

- a) Upto 80,00,00,000 (80 Crore) fresh equity shares of the face value of ₹ 10 each for cash at such premium which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of ₹ 3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;
- b) for making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding ₹ **10,000 Crore** (Rupees Ten Thousand Crore only), during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts,

Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank”.

“**RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of qualified institutional placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“**ICDR Regulations**”) and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT**, the Equity Shares to be issued shall be listed / bonds with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

“**RESOLVED FURTHER THAT**, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution , or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time .”
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) , Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board



(Melwyn Rego)  
Managing Director & CEO

Place: Mumbai  
Date: 05.04.2017

**Notes:**

1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON SATURDAY 29<sup>TH</sup> APRIL 2017
2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 P.M. on Saturday 29<sup>th</sup> April 2017
3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
4. The explanatory statement to the items on the agenda is annexed hereto.
5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary  
Bank of India, Head Office,  
Star House, C – 5, 'G' Block  
8<sup>th</sup> Floor, Bandra Kurla complex,  
Bandra (East),  
Mumbai 400 051.

**Phone: 66684444. Email: [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in)  
Website: [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in)**

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:  
M/S Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit: Bank of India  
E-2, Ansa Industrial Estate, Sakivihar Road,  
Sakinaka. Andheri East, Mumbai-400 072  
Phone: 022-40430200  
Fax-28591568  
Email: [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com)

**6. E-Voting**

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/S S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 27<sup>th</sup> April, 2017 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

**7. E-voting Instructions**

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on 27<sup>th</sup> April, 2017 (Cut-off Date) fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on 1<sup>st</sup> May 2017 and will end at 5.00 p.m. on 3<sup>rd</sup> May 2017. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- (iv) Click on shareholders
- (v) Now enter your User ID
  - (a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID
  - (b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID
  - (c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to us the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held.</li> <li>• In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA000001 in the PAN field.</li> </ul>
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)</li> </ul>

- (ix) After entering these details appropriately, click on 'SUBMIT' tab.
- (x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see 'Resolution Description' and against the same the option 'Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on 'CANCEL' and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the 'Click here to print' option on the Voting page.
- (xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Note for Non- Individual Shareholders and Custodians
- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and CC to [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net)
  - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts should be mailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
  - In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
- (xx) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (xxi) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xxii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xxiii) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
8. **Voting at the Meeting**
- After the agenda items have been discussed, the Chairman will order voting in respect the items on the agenda. Shareholders attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman may declare the meeting as closed.
9. The Results of the voting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board



(Melwyn Rego)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 05.04.2017

## EXPLANATORY STATEMENT

**Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.**

**Item Number 1**

**Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.**

- The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹ 1055.43 Crore.
- Presently, the shareholding of the Government of India in our Bank is ₹ 777.51 Crore, which constitutes 73.72 % of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 31st December, 2016 is as under:

Particulars	Amount ₹ in Crore	% of capital funds to risk weighted asset Under Basel-III
Risk Weighted Assets	3,43,657	
Common Equity Capital (CET-1)	26,453	7.70
Additional Tier-1 Capital	4,771	1.38
Tier-I Capital	31,224	9.08
Tier-II Capital	10,405	3.03
Total Capital	41,629	12.11

- The Bank is growing at a normal pace at a reasonable average growth rate over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date to Government of India.

GOI vide their letter dated March 16, 2017 has informed that they, subject to certain conditions intend to infuse capital to the extent of ₹ 1500 crore. GOI vide their letter dated March 23, 2017 has informed that they would be remitting the money on or before 31st March 2017 and that the Bank should seek requisite approval from RBI for treating the amount as part of CET -1 capital. GOI has remitted the amount on March 31, 2017 Reserve Bank of India vide their letter dated March 22, 2017 permitted the Bank for treating the application money received as part of CET-1 capital

- The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.

**5. Objects of the proposed Preferential Issue:**

With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India proposes to infuse additional equity capital into the Bank to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

**6. Proposal of the Promoters/ Directors/ Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:**

None of the Director or Key Management Persons other than the Promoter of the Bank i.e. Government of India below intends to subscribe to the offer of equity shares.

**7. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:**

Particulars	Pre Issue (As on 31st March 2017)		Proposed Allotment of Shares (Approx)	Post Issue	
	No. of Shares	% of Holding		No. of Shares (Approx)	% of Holding
Promoter Group The President of India#	77,75,14,808	73.72	11,23,51,134	88,98,65,942	75.12
LIC of India*	13,52,81,603	12.83	1,75,00,000	15,27,81,603	12.90
Other Shareholders	14,18,98,693	13.45	-	14,18,98,693	11.98
Total	105,46,95,104	100.00	12,98,51,134	1,18,45,46,238	100.00

# Allotment of shares in excess of 75% to Government of India will be done only with the approval of SEBI in this regard.

\* Issue of 1,75,00,000 shares to LIC has already been approved in the EGM held on 30th March 2017 and will be allotted on receipt of Government Approval.

**8. The Pre and Post Issue shareholding of President of India is as under:-**

	Pre Issue		Post Issue	
	No. of equity shares	Percentage to Capital	No. of equity shares (Approx)	Percentage to Capital
President of India	77,75,14,808	73.72	88,98,65,942	75.12

9. **The timeline within which the preferential issue shall be completed:**

The Bank endeavors to complete the Issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

- a) Government of India vide their letter dated March 16, 2017 communicated its intention to infuse turnaround linked capital infusion to the extent of ₹ 1500 crore (₹ One thousand Five Hundred Crores Only) as preferential equity in the Bank in favour of the Government of India (President of India) subject to fulfilment of certain conditions. The Bank has already received the subscription money from the Government of India on 31.03.2017.
- b) Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vests their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

10. **Pricing of the proposed Preferential Issue:**

The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

11. **Certification from Statutory Auditors:**

M/s. Grover, Lalla & Mehta, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting on May 4, 2017.

12. **Lock-in period:**

As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.

13. The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange.

14. **Compliance:**

- a) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- b) The Government of India (Promoters) has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- c) Clause 41 (4) of SEBI Listing Regulations-2015, provide inter-alia that the listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro rata basis , to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

14. **Undertakings:**

- a) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- b) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors / Key Managerial personal of the Bank / their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

**Item number 2:**

1. The Bank is growing at a normal pace at a reasonable growth rate over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Qualified institutional Placement (QIP)/ Follow on public offer (FPO)/ private placement of equity shares , Tier-I Bonds, Tier-II Bonds, preference shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.
2. The present resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares, Tier-I/ Tier-II capital at an appropriate time, mode premium and other terms. The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue allotment and other modes of raising capital.
3. The proposed issuance of Equity Shares / Tier-I, Tier-II capital bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank Key Managerial Persons and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank

By order of the Board



(Melwyn Rego)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai  
Date: 05.04.2017

बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India

**BOI**



प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

## असाधारण आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

दिनांक: 4 मई, 2017, समय: प्रातः 10.30 बजे

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

### ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 4<sup>th</sup> May, 2017, Time 10.30 AM

Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra East, Mumbai 400 051

#### उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

#### ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. FOLIO NO./ CLIENT ID NO.:	शेयरों की संख्या No. of Shares	उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the shareholder / proxy / Representative present



#### प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

#### ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. FOLIO NO./ CLIENT ID NO	क्रम संख्या SERIAL NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र सह प्रवेश पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

Share holders/proxy holders or representatives are requested to produce this attendance slip – cum – entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/ proxy holders/ representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

पश्चलेख: बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे। / P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.





प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं. \_\_\_\_\_  
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपी आईडी नं. \_\_\_\_\_  
ग्राहक आई डी नं. \_\_\_\_\_  
(यदि डीमेट किया गया हो)

## परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
राज्य \_\_\_\_\_ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूँ/हैं और मैं/हम एतद्वारा

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_  
को या उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

राज्य \_\_\_\_\_ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से दिनांक 4 मई, 2017 को आयोजित की जाने वाली बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

माह \_\_\_\_\_ की \_\_\_\_\_ 2017 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

राजस्व स्टॉप

प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

## परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
  - एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
  - संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
  - निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो-  
बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



**Head Office:** Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No. \_\_\_\_\_  
(if not dematerialised)

DP ID No. \_\_\_\_\_  
Client ID No. \_\_\_\_\_  
(if dematerialised)

## PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

I/We, \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the  
\_\_\_\_\_ in the  
district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ being a shareholder/shareholders of Bank of  
India, hereby appoint. Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of  
\_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ or  
failing him/her Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the  
district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at  
the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on 4<sup>th</sup>, May, 2017 and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2017.

Signature of Proxy \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Revenue  
Stamp

Signature of first named/sole shareholder

## INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAY** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at  
Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.